

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांकC/3148...../

जबलपुर, दिनांक 28/04/2025

श्री रामचरण सिसोदिया, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ-
इंदौर को दुर्घटनाग्रस्त होकर ऑपरेशन वाले पैर में पुनः चोट लगने के कारण दिनांक
18.06.2024 से 31.07.2024 तक 44 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(हर्ष सिंह बहरावत)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांकC/3149...../

जबलपुर, दिनांक 28/04/2025

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ-इंदौर की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक प्रशा./अवकाश/2736 इंदौर दिनांक 21.09.2025 के संदर्भ में श्री रामचरण सिसोदिया, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर का निर्धारित प्रपत्र संलग्न सहपत्रों छायाप्रति को वापस करते हुए अनुरोध है कि प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।
संलग्न : उपरोक्तानुसार।
2. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (आई.टी.-सी.एस.ए.) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
3. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
4. ए.ओ. (जे) स्थापना शाखा, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
5. सहायक अवकाश, स्थापना शाखा, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(हर्ष सिंह बहरावत)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)